

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2456]नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 23, 2013/कार्त्तिक 1, 1935No. 2456]NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2013/KARTIK 1, 1935

# सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2013

**का.आ. 3220(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एत एतद्द्वारा द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 31 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

	नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 848ए के उतने भाग जो दादरा और नगर हवेली संघ	दादरा और नगर हवेली
	राज्य क्षेत्र में अवस्थित  हैं ।	प्रशासन"।

[फा.सं. एनएच-14013/21/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

4488 GI/2013

# टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 2411 (अ), 7 अगस्त, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2013

**S.O. 3220(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the Schedule to said notification, after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely: -

" 32	So much of new National Highway No. 848A as is situated within the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.	Dadra and Nagar Haveli administration.".

### [F. No. NH-14013/21/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 2411 (E), dated the 7th August, 2013.